


3/5/21

पत्रावली पराड्डे। वसुलाए फकिन 394
मूल वाद अन्तर्गत आदेश नमिथम ॥
जाणा डीवानी म खारिज किया जा
युजा है। जब मूल वाद खारिज किया
जायुजा है अतः प्रार्थना पर प्रार्थी
वावल अंतर्गत निवेद्याना अन्तर्गत
धारा 212 राजस्थान कारतकारी अधिनियम
खारिज भोग्य होने के कारण खारिज
किया जाता है व आदेश दिनांक 8/9/15
वावल अंतर्गत अंतर्गत निवेद्याना खारिज
किया जाता है निर्णय लेने आभालय
के जुनाभागाया। पत्रावली निर्णय शुमाए
होकर नम्बर ए कम होकर दाखिल इतर
है।


अधिकारी।
संमर लेक

